दिनांक	
24/7/19	[illegible] 13/6/19 [illegible] को पेश हो [illegible]
9/8/19	पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/ यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/9/19 को पेश हो।
16/9/19	पत्रावली पेश हुई। आज अधिवक्ता संघ ने कार्य स्थगन कर रखा है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/11/2019 को पेश हो
5/11/19	पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/ यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/12/19 को पेश हो।
5/12/19	प्रत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/ यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/12/19 को पेश हो।
19/12/19	पत्रावली पेश हुई आवेदक के अधिवक्ता उप. [illegible] का जवाब पेश हो चुका है [illegible] आपत्ति पर बहस आवेदक से सुनी गई पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 9/1/20 को पेश हो
9/1/2020	प्रत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/ यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/1/20 को पेश हो।
15/1/2020	पत्रावली वास्ते [illegible] पेश हुई आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक 7/2/20 को पेश हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास राजपाल यादव आरएएस

प्रकरण सं0 39/2017/अपील

भुरड़ी बनाम सुखदेवा आदि

प्राथमिक विधिक आपत्ति दिनांकित 02.02.2018

उपस्थिति–

1. श्री गणपत लाल, वकील आपत्तिकर्ता/प्रार्थीया जिनकू की ओर से
2. श्री सिकेन्द्रसिंह शेखावत, वकील जवाबदाता/प्रार्थी सुखदेवाराम की ओर से

निर्णय

दिनांक– 15.01.2020

01. वकील आपत्तिकर्ता/प्रार्थीया जिनकू की ओर से प्राथमिक विधिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात खसरा सं. 31, 32, 33, 34 व 35 कुल किता 5 कुल रकबा 13.83 हेक्टेयर वाके ग्राम भड़कासली तहसील धोद के संबंध में प्रार्थी सुखदेवाराम द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और उक्त आवेदन में माननीय न्यायालय को मुगालते में रखकर सहायक भू–प्रबंध विभाग की पत्रावली सं. 126/81 के निर्णय दिनांक 17.08.1981 को आधार मानकर अपने आपको 2/3 भाग की खातेदारी देने की मांग की, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2015 को खारिज कर दिया। प्रार्थीया जिनकू द्वारा एएसओ, सीकर के उक्त निर्णय के विरूद्ध भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसका निर्णय दिनांक 18.02.1984 को किया जाकर पत्रावली रिमांड की गई। जिसके बाद सुखदेवाराम ने भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर के निर्णय दिनांक 18.02.2014 के विरूद्ध एक अपील सेटलमेंट कमिश्नर, जयपुर के यहां पेश की, जो दिनांक 24.07.2017 को खारिज की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल राज., अजमेर के यहां निगरानी पेश की गई, जिसमें उभयपक्षों को रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये है। उक्त निगरानी लम्बित रहते हुये सुखदेवाराम ने भू–प्रबंध अधिकारी के निर्णय दिनांक 18.02.1984 के विरूद्ध हस्तगत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दी गई। जो कि विधिनुसार एक ही निर्णय के विरूद्ध दो अपील भिन्न–भिन्न न्यायालयों में नहीं चल सकती है, इसलिए प्रार्थी/अपीलांट सुखदेवाराम द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः प्रारम्भिक विधिक आपत्ति पेश कर निवेदन है कि आपत्ति स्वीकार की जाकर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने की कृपा करें।

02. आवेदन प्राथमिक विधिक आपत्ति पेश होने पर आवेदन की प्रति वकील जवाबदाता/प्रार्थी को दिलाई गई। वकील जवाबदाता/प्रार्थी ने आवेदन आपत्ति का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 17.08.1981 के आदेश की पालना हेतु आवेदन लगाया गया था। परन्तु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned with CamScanner

दिनांक 18.02.1984 के आदेश का ज्ञान होते ही जवाबदाता द्वारा पेश आवेदन विड्रा कर लिया और दिनांक 18.02.1984 के आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में की गई थी। आदेश दिनांक 18.02.1984 की अपील सक्षम न्यायालय सेटलमेंट कमिश्नर, जयपुर में पेश करने पर दिनांक 24.04.2017 को खारिज की गई थी, जिसकी अपील राजस्व न्यायालय में भी की थी। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में सेटलमेंट कमिश्नर, जयपुर के निर्णय की अपील की गई थी। परन्तु वह अपील जवाबदाता द्वारा विड्रा कर ली गई है। माननीय न्यायालय भू–प्रबंध एवं राजस्व अपील अधिकारी, सीकर ने आदेश दिनांक 18.02.1984 के आदेश की पालना करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु पत्रावली भिजवाई गई है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रार्थीया जिनकू का प्रारम्भिक विधिक आपत्ति आवेदन को खारिज फरमाया जावें।

03. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील आपत्तिकर्ता ने बहस के दौरान आवेदन प्राथमिक विधिक आपत्ति के तथ्यों को दोहराया। इसके विपरीत वकील जवाबदाता/प्रार्थी ने अपने जवाब के कथनों को बहस के दौरान दोहराया।

04. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। समग्र पत्रावली का बगौर अवलोकन करने पर पाया कि "सर्वप्रथम प्रकरण भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान एएसओ, सीकर के यहां दर्ज किया गया, जिसका एएसओ, सीकर ने दिनांक 18.07.1981 को निर्णय कर दिया। प्रार्थीया जिनकू द्वारा इस निर्णय की अपील भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसने अपने निर्णय दिनांक 18.02.1984 द्वारा एएसओ, सीकर के निर्णय को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु एएसओ, सीकर को रिमाण्ड कर दिया, लेकिन पत्रावली न्यायालय एएसओ, सीकर के यहां नहीं भेजी गई।
तत्पश्चात् भू–प्रबंध अधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 18.02.1984 के विरूद्ध सुखदेवाराम ने सन् 2014 में द्वितीय अपील सेटलमेंट कमिश्नर, जयपुर के यहां पेश की, जिसे सेटलमेंट कमिश्नर ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2017 को मियाद बाहर होने के कारण खारिज कर दिया गया तथा एएसओ, सीकर व भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर की दोनों पत्रावलियां जिला कलक्टर, सीकर को अपने पत्रांक 149 दिनांक 03.05.2017 द्वारा प्रेषित कर दी। उक्त निर्णय के विरूद्ध सुखदेवाराम ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी सं. 2333/2017 पेश की, जिसे दिनांक 13.06.2019 को विड्रा कर लिया गया। उक्त प्रक्रियायें विचाराधीन होने के दौरान ही दिनांक 10.09.2012 को प्रार्थी सुखदेवाराम ने न्यायालय हाजा में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट पेश किया, जिसे न्यायालय हाजा ने दिनांक 09.07.2015 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि "प्रकरण में द्वितीय अपील सं. 2/14 न्यायालय भू–प्रबंध आयुक्त, जयपुर में विचाराधीन है। अतः उक्त आवेदन न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं हैं।" अर्थात् न्यायालय हाजा ने उक्त आवेदन को मेरिट/बिना मेरिट के अनुसार खारिज नहीं किया।
दिनांक 08.05.2017 को प्रार्थी सुखदेवाराम ने RAA, सीकर के न्यायालय में एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि "माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 18.02.1984 के अनुसार केश सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावें।" न्यायालय RAA, सीकर ने प्रकरण दर्ज किया तथा अपने निर्णय आदेशिका दिनांक 22.05.2017 द्वारा प्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर यह तथ्य अंकित किया कि "भू–प्रबंध कार्यवाही समाप्त होने के कारण उक्त शक्तियां Collector व SDO में निहित हो जाती है। अतः SDO धोद नियमानुसार सभी पक्षों को सूचित कर प्रकरण में भू–प्रबंध अधिकारी, सीकर के आदेश दिनांक 18.02.84 के अनुसार सुनवाई करें।" तत्पश्चात् उक्त प्रकरण सुनवाई हेतु समस्त मूल दस्तावेजों के न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ। न्यायालय RAA, सीकर के आदेशानुसार न्यायाला हाजा द्वारा प्रकरण की सुनवाई की गई, लेकिन दिनांक 23.01.2018 को राजस्व मण्डल राज., अजमेर में निगरानी में स्थगन होने के कारण पत्रावली को राजस्व मण्डल राज., अजमेर के आदेश के इंतजार में डाल दिया। अब राजस्व मण्डल राज., अजमेर में उक्त निगरानी विड्रा की जा चुकी है।"

उपर्युक्त विस्तृत विवरण से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में आदिनांक तक भू–प्रबंध अधिकारी का आदेश दिनांक 18.02.1984 प्रभावी है, जिसमें पुनः सुनवाई करके विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु एएसओ को कहा गया था, चूंकि वर्तमान में एएसओ की शक्तियां न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः प्रकरण न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार में है। प्रकरण में सभी पक्षों को सुना जायेगा तथा समस्त साक्ष्यों/दस्तावेजों के आधार पर सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात् विस्तृत निर्णय नये सिरे से पारित किया जायेगा। इसलिए विधिक आपत्ति खारिज योग्य है।

अतः आपत्तिकर्ता/प्रार्थीया जिनकू की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक विधिक आपत्ति विधिसम्मत नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद व सीकर
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

सत्यमेव जयते
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.02.04 12:15:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: